NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 13-09-2025

विषय सूची

» विश्व की प्रथम एआई 'मंत्री' डिएला
» भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में मतदान
» डेटा संरक्षण के युग में RTI पर पुनर्विचार
» सुशीला कार्की द्वारा नेपाल की प्रथम महिला के रूप में शपथ ग्रहण
» CBSE द्वारा बोर्ड छात्रों के लिए APAAR आईडी नियम में आंशिक छूट

संक्षिप्त समाचार

» "ज्ञान भारतम्" पोर्टल
» राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2025 का प्रारूप
» RBI का CPI मुद्रास्फीति रूपरेखा
» सरकार द्वारा अफीम की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा
» सिकाडा
» कोयला गैसीकरण
» अभ्यास सियोम प्रहार
» INS अरावली का गुरुग्राम में कमीशन
» F404-IN20 इंजन
» आपदा जोखिम सूचकांक (DRI)

विश्व की प्रथम एआई 'मंत्री' डिएला

संदर्भ

- अल्बानिया भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई-जनित "मंत्री" नियुक्त करने वाला प्रथम देश बन गया है।

परिचय

- अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की घोषणा की।
- इस डिजिटल सहायक का नाम 'डिएला' रखा गया है, जिसका अर्थ है 'सूरज'।
- इसे सार्वजनिक निविदाओं से संबंधित सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे 100% भ्रष्टाचार-मुक्त हों।
  - एआई मंत्री को निविदाओं का मूल्यांकन करने और विश्व भर से प्रतिभाओं को नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया है।
- **एक वर्चुअल सहायक के रूप में उत्पत्ति:** डिएला को जनवरी में एक एआई-संचालित डिजिटल सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में एक महिला के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
  - इसका उद्देश्य नागरिकों को आधिकारिक ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज़ों और सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करना था।
- **अल्बानिया में भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ:** अल्बानिया में सार्वजनिक निविदाएं ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार घोटालों के केंद्र में रही हैं।
  - यह देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों का केंद्र बन गया है, जो ड्रग और हथियारों की तस्करी से प्राप्त धन का शोधन करते हैं। भ्रष्टाचार की पहुंच सरकार के उच्च स्तरों तक उल्लेखित की गई है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्या है?

- यह मशीन की काल्पनिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जिसमें किसी भी बौद्धिक कार्य को समझने या सीखने की क्षमता होती है, जैसा कि एक मानव कर सकता है।
  - यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एक प्रकार है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताओं की नकल करना है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को मानव मस्तिष्क की क्षमताओं का अनुकरण करने या उन्हें बेहतर बनाने की अनुमति देती है।

Figure 1: What is Artificial Intelligence

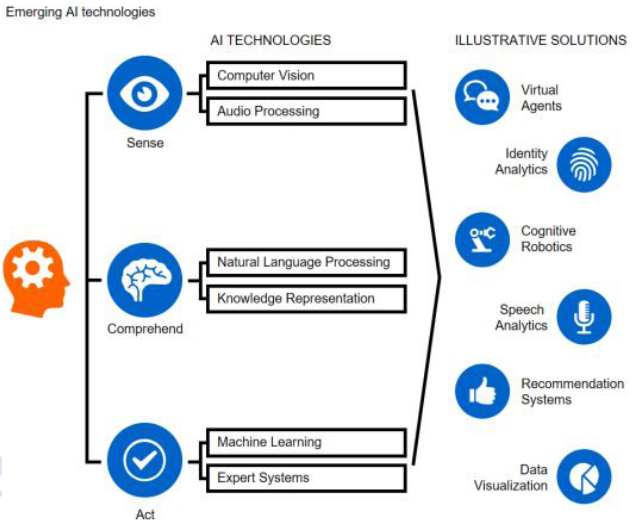

सार्वजनिक सेवा में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

- **शासन और प्रशासन:** नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एआई चैटबॉट्स और NLP (नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग) टूल्स।
  - कर फाइलिंग, सब्सिडी और सार्वजनिक खरीद में विसंगति का एआई-आधारित पता लगाना।
- **स्वास्थ्य सेवा:** प्रारंभिक रोग पहचान के लिए एआई मॉडल (जैसे टीबी, कैंसर स्क्रीनिंग)
  - **टेलीमेडिसिन:** ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के लिए एआई-संचालित आभासी सहायक।
- **शिक्षा:** छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ तैयार करने वाले एआई-संचालित प्लेटफॉर्म।
  - **स्वचालित मूल्यांकन:** शिक्षकों का कार्यभार कम करना और त्वरित फीडबैक देना।
- **कृषि:**
  - **परिशुद्ध कृषि:** मृदा की गुणवत्ता, मौसम और कीट नियंत्रण पर एआई-आधारित परामर्श।

- **बाजार पूर्वानुमान:** किसानों के लिए मूल्य भविष्यवाणी मॉडल।
- **आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन:** एआई लॉजिस्टिक्स समाधान से कटाई के पश्चात हानि कम करना।

- **कानून और व्यवस्था:** अपराध पैटर्न विश्लेषण और हॉटस्पॉट मैपिंग के लिए एआई।
  - **चेहरे की पहचान और निगरानी:** सार्वजनिक सुरक्षा अभियानों में संदिग्धों की पहचान के लिए फेसियल रिकग्निशन और निगरानी।
  - **न्यायपालिका:** केस प्रबंधन में एआई-सहायता, नियमित दस्तावेज़ीकरण को स्वचालित करके लंबित मामलों को कम करना।
- **शहरी शासन:** ट्रैफिक प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान और ऊर्जा दक्षता के लिए एआई
  - **आपदा प्रबंधन:** बाढ़, चक्रवात या भूकंप की भविष्यवाणी में एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।
- **कल्याण योजनाएं और सामाजिक क्षेत्र:** वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए एआई, PDS, MGNREGA आदि में रिसाव को कम करना।
  - **वित्तीय समावेशन:** डिजिटल बैंकिंग और माइक्रो-क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग।

चिंताएं

- **पक्षपात और भेदभाव:** डेटा पर प्रशिक्षित एआई कुछ समूहों के विरुद्ध पक्षपाती हो सकता है।
- **डेटा गोपनीयता:** डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के बावजूद भारत में संवेदनशील नागरिक डेटा के लिए व्यापक ढांचा नहीं है।
- **जवाबदेही का अभाव:** यदि एआई गलत निर्णय लेता है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तरदायी कौन है — प्रोग्रामर, ऑपरेटर या सरकार।
- **रोजगारों का विस्थापन:** स्वचालन से निम्न स्तर की प्रशासनिक और लिपिक रोजगार समाप्त हो सकते हैं।
- **तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता:** मानवीय निर्णय, सहानुभूति और संदर्भ की समझ की नजरअंदाज करने का जोखिम।
- **साइबर सुरक्षा खतरे:** एआई सिस्टम हैकिंग, हेरफेर या शत्रुतापूर्ण हमलों के प्रति संवेदनशील।
- **विदेशी तकनीकी कंपनियों पर निर्भरता:** यदि भारत बाहरी एआई कंपनियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, तो "डिजिटल उपनिवेशवाद" का खतरा।

सरकारी पहलें

- **IndiaAI मिशन (2024):**इसका पांच वर्षों का बजट 10,300 करोड़ रुपये है।
  - 18,693 GPUs के साथ उच्च स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण।
- **भारत के एआई मॉडल और भाषा तकनीकें:**सरकार भारत के अपने आधारभूत मॉडलों के विकास में सहायता कर रही है, जिसमें बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या-विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं।
  - **भारतजेन**: विश्व की प्रथम सरकारी-वित्त पोषित मल्टीमॉडल LLM पहल, 2024 में लॉन्च।
  - **सर्वम-1 AI मॉडल**: भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित LLM, जिसमें 2 अरब पैरामीटर हैं और यह दस प्रमुख भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है।
  - **हनुमान का एवरेस्ट 1.0**: SML द्वारा विकसित बहुभाषी एआई सिस्टम, जो 35 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, और 90 तक विस्तार की योजना है।
- **AI उत्कृष्टता केंद्र:** देशभर में एआई स्टार्टअप्स और अनुसंधान को समर्थन देने के लिए समर्पित एआई हब और नवाचार केंद्रों की स्थापना।
- **भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** सार्वजनिक वित्त पोषण और निजी क्षेत्र की नवाचार को मिलाकर डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना।

- आधार, UPI और डिजिलॉकर भारत के DPI की नींव हैं।
- वित्तीय और शासन प्लेटफॉर्म में बुद्धिमान समाधान एकीकृत किए जा रहे हैं।

- **ई-कोर्ट्स परियोजना:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यों को डिजिटल नवाचार के माध्यम से आधुनिक बनाने की पहल।
  - **चरण III**: न्यायालयों में केस प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता सुधारने के लिए उन्नत एआई समाधान एकीकृत करना।

निष्कर्ष

- भारत की तीव्र एआई प्रगति सुदृढ़ सरकारी पहलों द्वारा संचालित है, जो इसे वैश्विक एआई शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।
- सार्वजनिक सेवा और न्याय प्रशासन में एआई के उपयोग का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए एक समर्पित कार्यबल नियुक्त किया जा सकता है।
- एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, ताकि एआई उपकरण गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रता और नैतिक मानकों का सम्मान करें, तथा दुरुपयोग को रोका जा सके।

Source: AIR

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में मतदान

संदर्भ

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जो 'न्यूयॉर्क घोषणा' का समर्थन करता है—जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान और दो-राष्ट्र सिद्धांत को लागू करना है।

परिचय

- यह प्रस्ताव फ्रांस द्वारा प्रस्तुत किया गया था और भारी बहुमत से पारित हुआ—142 देशों ने समर्थन में मतदान किया, 10 ने विरोध किया और 12 ने मतदान में भाग नही लिया।
  - विरोध करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे।
- घोषणा में नेताओं ने गाज़ा में युद्ध समाप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने और इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का न्यायसंगत, शांतिपूर्ण एवं स्थायी समाधान प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की।
  - यह प्रस्ताव दो-राष्ट्र समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है, ताकि फिलिस्तीनियों, इज़राइलियों और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके।
  - इसमें इज़राइली नेतृत्व से दो-राष्ट्र समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त करने का आह्वान किया गया है, जिसमें एक संप्रभु और व्यवहारिक फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना शामिल है।

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का दृष्टिकोण

- भारत 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को मान्यता देने वाला प्रथम गैर-अरब देश था।
- 1988 में, भारत उन प्रथम देशों में शामिल था जिन्होंने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी।
  - भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन समर्थक प्रस्तावों के पक्ष में लगातार मतदान किया है।
- **फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने का समर्थन:**
  - भारत दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है—इज़राइल और फिलिस्तीन का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के अंदर।
  - संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के आधार पर पूर्वी यरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता देने का समर्थन करता है।
  - अंतरराष्ट्रीय संगठनों में फिलिस्तीन की सदस्यता का दृढ़ समर्थन करता है (जैसे UNESCO, 2012 में UNGA में पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा)।
- **उच्च स्तरीय दौरे:**
  - प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में फिलिस्तीन का ऐतिहासिक दौरा किया—किसी भारतीय प्रधानमंत्री का प्रथम दौरा।

- इससे पहले, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 में फिलिस्तीन का दौरा किया—किसी भारतीय राष्ट्रपति का प्रथम दौरा।

- **विकास सहायता:** भारत ने वर्षों से फिलिस्तीन को लगभग US$ 141 मिलियन की विकास सहयोग सहायता प्रदान की है।
  - भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA) फंड ने फिलिस्तीन में US$ 5 मिलियन की लागत वाले चार परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।
- **संयुक्त राष्ट्र में भारत का दृष्टिकोण:**
  - दोनों पक्षों से हिंसा और आतंकवाद को अस्वीकार करना।
  - गाज़ा में मानवीय सहायता की आवश्यकता।
  - कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन।
- **भारत का दृष्टिकोण एक संवेदनशील संतुलन को दर्शाता है:** विगत तीन दशकों में इज़राइल के साथ भारत के संबंधों में प्रगति के बावजूद, भारत ने अपनी नई साझेदारी और फिलिस्तीन के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाए रखा है।
  - भारत की इज़राइल के साथ रक्षा, कृषि और नवाचार में रणनीतिक साझेदारी है।
  - भारत अपने दृष्टिकोण को इस रूप में प्रस्तुत करता है—"फिलिस्तीन के लिए सैद्धांतिक समर्थन, इज़राइल के साथ व्यावहारिक साझेदारी।"

निष्कर्ष

- भारत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने और दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, साथ ही इज़राइल के साथ रणनीतिक संबंधों को भी सुदृढ़ करता है।
- भारत का दृष्टिकोण यथार्थवाद, पश्चिम एशिया के हितों के संतुलन और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित है।

Source: AIR

डेटा संरक्षण के युग में RTI पर पुनर्विचार

संदर्भ

- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के माध्यम से RTI अधिनियम में किए गए संशोधन ने पारदर्शिता और नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार के कमजोर पड़ने को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के बारे में

- **उद्देश्य:** यह अधिनियम सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, जिससे नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिले।
- **दायरा:** यह अधिनियम उन सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिनमें सरकारी विभाग, मंत्रालय और वे संगठन शामिल हैं जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- **सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी:** नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और अन्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
- **अपवाद:** ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, गोपनीयता का उल्लंघन करती है या चल रही जांच की निष्पक्षता को प्रभावित करती है।
- **प्रतिक्रिया की समयसीमा:** सार्वजनिक प्राधिकरणों को 30 दिनों के अंदर सूचना अनुरोधों का उत्तर देना आवश्यक है। कुछ मामलों में यह अवधि 45 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
- **दंड:** यदि अधिकारी बिना उचित कारण के जानकारी रोकते हैं या गलत जानकारी प्रदान करते हैं, तो अधिनियम उनके विरुद्ध दंड का प्रावधान करता है।

संशोधन विवरण

- **मूल प्रावधान:** RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित किया गया था, सिवाय उन मामलों में जहां यह व्यापक जनहित में आवश्यक हो।
  - यह प्रावधान सामाजिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच की अनुमति देता था, जैसे सरकारी योजनाओं की जांच या भ्रष्टाचार पर रोक।
- **DPDP अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधन:** इस संशोधन ने जनहित के आधार पर जानकारी देने की छूट

को समाप्त कर दिया है और RTI के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

- अब यदि किसी जानकारी से गोपनीयता को खतरा है, तो उसे केवल जनहित के आधार पर साझा नहीं किया जा सकता।

सरकार का पक्ष

- केंद्र सरकार इस संशोधन को मौलिक अधिकारों के संतुलन के रूप में उचित ठहराती है: गोपनीयता का अधिकार (अनुच्छेद 21) को सर्वोच्च न्यायालय ने (न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017) में मान्यता दी थी, और सूचना का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) में है।
- सरकार का कहना है कि RTI अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत यदि जनहित संरक्षित हितों को होने वाली हानि से अधिक है, तो जानकारी दी जा सकती है—इससे कानूनों के बीच टकराव नहीं होता।
- सरकार का दावा है कि यह संशोधन एक अस्पष्ट और अनावश्यक प्रावधान को हटाता है, जबकि पारदर्शिता एवं गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है।

आलोचना और चिंताएं

- **पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रभाव:** आलोचकों का कहना है कि यह संशोधन सामाजिक ऑडिट, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों और सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की जांच के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को गंभीर रूप से सीमित करता है।
- **प्राधिकरणों को विवेकाधिकार:** DPDP अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा की व्यापक परिभाषा के कारण RTI अनुरोधों को मनमाने ढंग से अस्वीकार किया जा सकता है, जिससे लोकतांत्रिक निगरानी कमजोर हो सकती है।
- **RTI के उद्देश्य से टकराव:** मूल RTI ढांचा गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाता था, जिससे जनहित में जानकारी साझा की जा सकती थी।
  - संशोधन को अत्यधिक गोपनीयता की ओर झुकाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे नागरिकों का सरकार की कार्यप्रणाली की जांच का मौलिक अधिकार सीमित हो जाता है।

न्यायिक और समिति के उदाहरण

- **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017):** संविधान के अंतर्गत गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया।
  - इसमें उचित प्रतिबंधों (वैधता, वैध उद्देश्य, आनुपातिकता) का परीक्षण भी निर्धारित किया गया।
  - यह स्पष्ट किया गया कि गोपनीयता पूर्ण नहीं है और इसे अन्य अधिकारों, जैसे जनता के सूचना के अधिकार, के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
- **सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019):** सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संपत्ति, नियुक्ति पत्राचार आदि से संबंधित RTI अनुरोधों पर विचार किया।
  - न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्यालय, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, RTI के अंतर्गत "सार्वजनिक प्राधिकरण" है।
  - न्यायालय ने यह भी माना कि न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणाएं RTI के अंतर्गत "जानकारी" हैं और इन्हें साझा किया जाना चाहिए, क्योंकि धारा 8(1)(j) के अंतर्गत इन्हें रोकना जवाबदेही के व्यापक जनहित को पीछे नहीं कर सकता।
- **गोपनीयता पर विशेषज्ञ समूह (2012):** योजना आयोग के अंतर्गत न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता में गठित।
  - रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि गोपनीयता पर कोई भी कानून RTI अधिनियम को कमजोर या सीमित नहीं करे।
  - इसमें यह भी कहा गया कि पारदर्शिता और गोपनीयता एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए।

अनुशंसाएँ

- RTI संदर्भ में "व्यक्तिगत जानकारी" या "व्यक्तिगत डेटा" को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाए; यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक सेवकों के कार्य, संपत्ति आदि से संबंधित जानकारी स्वतः ही अपवाद न मानी जाए।
- **संस्थागत और प्रक्रियात्मक उपाय:**
  - सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (PIOs) को गोपनीयता बनाम पारदर्शिता के संतुलन की अच्छी समझ के लिए प्रशिक्षण देना।
  - सूचना आयोगों की क्षमता को सुदृढ़ करना ताकि वे विवादित मामलों का न्यायसंगत निपटारा कर सकें।

निष्कर्ष

- RTI अधिनियम को इस उद्देश्य से बनाया गया था कि वह सत्ता को सार्वजनिक सेवकों से नागरिकों की ओर स्थानांतरित करे, और सूचना के अधिकार को लोकतंत्र का स्तंभ माने।
- न्यायिक कमजोरियों और DPDP संशोधन के कारण यह "सूचना न देने का अधिकार" बन सकता है।
- RTI की मूल भावना की रक्षा के लिए नागरिकों, मीडिया और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, ताकि पारदर्शिता भारत के लोकतांत्रिक शासन का केंद्र बनी रहे।

Source: TH

सुशीला कार्की द्वारा नेपाल की प्रथम महिला के रूप में शपथ ग्रहण

समाचारों में

- नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

पृष्ठभूमि

- नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर 5 मार्च 2026 को नए चुनावों की घोषणा की।
- यह निर्णय भ्रष्टाचार, कुशासन और एक विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के कारण हुए तीव्र जेन ज़ी-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया, जिसने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को सत्ता से बाहर कर दिया।
- मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की नियुक्ति, जो प्रदर्शनकारियों द्वारा समर्थित थी, कानूनी विशेषज्ञों, राजनीतिक नेताओं और सेना के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद हुई।

मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की

- वे अपनी ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी प्रवृत्ति के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं और अब एक अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व कर रही हैं, जिसकी कार्य व्यवस्था पुनर्स्थापित करना, हालिया हिंसा की जांच करना और चुनावों की तैयारी करना है।
- भारत ने नई सरकार का स्वागत करते हुए शांति और निरंतर साझेदारी की आशा व्यक्त की।

भारत-नेपाल संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन

- नेपाल भारत के पाँच राज्यों—सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड—के साथ सीमा साझा करता है।
- भारत और नेपाल के बीच विद्यमान प्राचीन सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के लोगों के बीच सुदृढ़ आपसी जुड़ाव से परिलक्षित होते हैं।
  - नेपाल भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के अंतर्गत एक प्राथमिकता भागीदार है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- भारत और नेपाल के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से व्यापक एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग रहा है।
- दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास एवं सम्मान पर आधारित उत्कृष्ट और सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं।
  - भारत और नेपाल की सेनाओं के प्रमुखों को एक-दूसरे की सेना में मानद जनरल की उपाधि देने की परंपरा भी है।

- गोरखा रेजीमेंट के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच मजबूत संबंध अधिक सुदृढ़ हुए हैं।

- नेपाल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत और चीन के बीच स्थित है।

विकासात्मक साझेदारी

- भारत की नेपाल के साथ विकासात्मक साझेदारी में मानव संसाधन सहयोग शामिल है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि और पारंपरिक कलाओं जैसे विविध क्षेत्रों में अध्ययन के लिए 1,500 से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम में प्रशिक्षण, परामर्श, अध्ययन यात्राएं और नेपाली पेशेवरों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शामिल हैं।

आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग

- भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश भागीदार है, जो नेपाल के कुल एफडीआई का 33.5% (यूएसडी 670 मिलियन) और कुल व्यापार का 64.1% (यूएसडी 8.85 बिलियन वित्त वर्ष 2022–23 में) है।
- नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जिसमें भारत का नेपाल को निर्यात यूएसडी 8.015 बिलियन है और नेपाल का भारत को निर्यात यूएसडी 839.62 मिलियन है।
- भारत को नेपाल के 67.9% निर्यात प्राप्त होते हैं, जिनमें मुख्यतः खाद्य तेल, कॉफी, चाय और जूट शामिल हैं, जबकि नेपाल भारत से पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, अनाज, वाहन और मशीनरी आयात करता है।
  - नेपाल में विनिर्माण, सेवाएं, ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्रों में लगभग 150 भारतीय उद्यम कार्यरत हैं।
- भारत नेपाल से अधिशेष बिजली का आयात करता है।

लोगों से लोगों के बीच संबंध

- भारत में 80 लाख से अधिक नेपाली प्रवासी (कामगार, छात्र, पेशेवर) निवास करते हैं।
- **धार्मिक संबंध:** पशुपतिनाथ मंदिर (नेपाल), जनकपुर (सीता का जन्मस्थान), और बोधगया (भारत)।

Source : TH

CBSE द्वारा बोर्ड छात्रों के लिए APAAR आईडी नियम में आंशिक छूट

संदर्भ

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों की सूची (LOC) डेटा से जुड़ी APAAR ID की प्रस्तुति को लेकर स्कूलों को आंशिक छूट प्रदान की है।

APAAR क्या है?

- स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (APAAR) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत एक पहल है और यह राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता ढांचा (NCrF) के अनुरूप है।
- इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय, स्थायी 12-अंकों की पहचान संख्या प्रदान करना है, जो उनकी आजीवन शैक्षणिक पहचान के रूप में कार्य करेगी।
- **उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएँ:**
  - सभी शैक्षणिक उपलब्धियों (ग्रेड, अंकपत्र, प्रमाणपत्र, सह-पाठ्यक्रम उपलब्धियाँ आदि) को एक एकल डिजिटल रिकॉर्ड में समेकित करना, जो छात्र से जुड़ा हो।
  - क्रेडिट ट्रांसफर, संस्थानों के बीच गतिशीलता, पूर्व शिक्षा की मान्यता और शिक्षा में लचीलापन को सक्षम बनाना।

स्कूलों द्वारा रिपोर्ट की गई चुनौतियाँ

- विगत वर्ष APAAR के शुरू होने के पश्चात से, स्कूलों को छात्रों के लिए ID जनरेट करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है:
  - तकनीकी समस्याएँ और पोर्टलों के बीच एकीकरण में कठिनाई।
  - स्कूल रिकॉर्ड और आधार विवरणों के बीच असंगतियाँ।
  - आधार से जुड़ी जानकारी को अपडेट या सुधारने में समय की देरी।

- गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण माता-पिता की सहमति की कमी।

अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC)

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कल्पित अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC) छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड का एक डिजिटल भंडार है।
- यह राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (NAD) पर आधारित है और छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में अर्जित क्रेडिट को संग्रहित करने, स्थानांतरित करने एवं उपयोग करने की सुविधा देता है।
- APAAR ID के साथ एकीकृत होकर यह निर्बाध शैक्षणिक गतिशीलता को सक्षम बनाता है, जिससे छात्र उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों के बीच स्थानांतरित हो सकते हैं बिना बार-बार भौतिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

"ज्ञान भारतम्" पोर्टल

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने "ज्ञान भारतम्" अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में **ज्ञान भारतम् पोर्टल** का शुभारंभ किया।

परिचय

- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "ज्ञान भारतम्" का आयोजन **"पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना"** विषय पर किया जा रहा है।
- **भारतम् पोर्टल** एक समर्पित डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को तीव्र करना है।
- भारत की पांडुलिपियाँ लगभग **80 भाषाओं** में उपलब्ध हैं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, असमिया, बंगाली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम और मराठी शामिल हैं।

ज्ञान भारतम् मिशन

- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) का उद्देश्य भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत का संरक्षण, प्रलेखन और प्रसार करना है।
- इस मिशन को अब **'ज्ञान भारतम् मिशन'** के नाम से पुनर्गठित किया गया है, जो **2024 से 2031** की अवधि के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्य करेगा।
- मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - सर्वेक्षण और प्रलेखन
  - संरक्षण और रख-रखाव
  - प्रकाशन और शोध कार्य आदि।

Source: AIR

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2025 का प्रारूप

संदर्भ

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2025 का प्रारूप जारी किया गया।

परिचय

- इस वर्गीकरण में नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, डिजिटल कॉमर्स, आयुष स्वास्थ्य सेवा और प्लेटफ़ॉर्म-आधारित सेवाओं के लिए नई श्रेणियाँ शामिल की गई हैं, जो अर्थव्यवस्था में डिजिटल एवं हरित परिवर्तनों को दर्शाती हैं।
- यह 17 वर्षों में प्रथम संशोधन है और भारत की अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य में व्यापक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है।
- यह उद्योगों एवं गतिविधियों के वर्गीकरण को मानकीकृत करेगा, जो सरकार, शोधकर्ताओं और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

Source: PIB

RBI का CPI मुद्रास्फीति रूपरेखा

समाचारों में

- हाल ही में, पूर्व मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्यों ने भारत की वर्तमान **लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (Flexible Inflation Targeting**

- FIT) व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन किया है, जिसमें **4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** मुद्रास्फीति लक्ष्य को **2-6% के दायरे** में रखा गया है। उन्होंने इसके पीछे मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की भूमिका को कारण बताया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एक निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है, जो जीवन यापन की लागत एवं उपभोक्ता की क्रय शक्ति को दर्शाता है।
- भारत में CPI को **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा संकलित किया जाता है, जिसमें **2012 को आधार वर्ष** के रूप में लिया गया है।
- यह वर्तमान कीमतों की तुलना पूर्व की कीमतों से करके मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है, और CPI में वृद्धि मुद्रास्फीति का संकेत देती है।
- प्रारंभ में इसे श्रमिकों के वेतन समायोजन के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब यह **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** की मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण और वास्तविक आर्थिक वृद्धि को मापने का प्रमुख उपकरण बन गया है।
- भारत विशेष रूप से **औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों** के लिए अलग-अलग CPI सूचकांक भी प्रकाशित करता है।

Source :IE

सरकार द्वारा अफीम की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा

समाचारों में

- अफीम की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा **मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 (NDPS Rules, 1985)** के तहत की गई है।

परिचय

- भारत विश्व का एकमात्र देश है जो **मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act, 1985)** के अंतर्गत **वैज्ञानिक और औषधीय उद्देश्यों** के लिए कानूनी रूप से अफीम गोंद का उत्पादन करता है।
- इस खेती को **राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय** के अंतर्गत आने वाले **केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN)** द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।
- **अनुमत राज्य:**
  - मध्य प्रदेश
  - राजस्थान
  - उत्तर प्रदेश (विशेष अधिसूचित क्षेत्र)
- **शर्तें:**
  - किसानों को प्रत्येक वर्ष **लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य** है।
  - उन्हें अफीम के लेटेक्स में **मॉर्फीन की न्यूनतम योग्यता उपज (MQY)** प्राप्त करनी होती है।
  - **पूरा उत्पादन CBN को सौंपना अनिवार्य** है; सरकार खरीद मूल्य निर्धारित करती है।
- **महत्व:** अफीम और इससे प्राप्त एल्कलॉइड्स (जैसे मॉर्फीन, कोडीन, थीबेन) **पैलिएटिव केयर, दर्द प्रबंधन**, एवं **आवश्यक मादक दवाओं** के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

Source: DTE

सिकाडा

समाचारों में

- केरल के **साइलेंट वैली नेशनल पार्क**, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) में स्थित एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ने हाल ही में **सिकाडा की वापसी** की सूचना दी है।

सिकाडा के बारे में

- यह कीटों का एक प्रमुख और आसानी से पहचाने जाने वाला समूह है, जो मुख्य रूप से विश्व भर के उष्ण और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- ये अपनी **विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता (टिंबल्स)** के लिए जाने जाते हैं, जिसका उपयोग प्रायः

साथी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है।

- ये **जैव संकेतक** के रूप में कार्य करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत को दर्शाते हैं।
- रिपोर्टों के अनुसार, **वनों की कटाई, जलवायु तनाव और मानव हस्तक्षेप** के कारण सिकाडा की संख्या में गिरावट आई थी।

Source: DTE

कोयला गैसीकरण

समाचारों में

- सरकार ने **खनन योजना दिशानिर्देशों की समीक्षा** और **भूमिगत कोयला गैसीकरण (Underground Coal Gasification - UCG)** के प्रावधानों को जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया है।

कोयला गैसीकरण

- कोयला गैसीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोयले को **संश्लेषण गैस (syngas)** में परिवर्तित किया जाता है, जो **हाइड्रोजन (H_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** का मिश्रण होता है।
- यह संश्लेषण गैस विद्युत उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जा सकती है।
  - **भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG):** UCG पर्यावरणीय और संचालन संबंधी लाभ प्रदान करता है, क्योंकि यह **गहरे, अप्राप्य कोयला भंडार** तक पहुंचने की सुविधा देता है, जिससे सतह पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, **कम जल** की आवश्यकता होती है, और **मेथनॉल, डाइमेथाइल ईथर एवं सिंथेटिक प्राकृतिक गैस** जैसे स्वच्छ ईंधन का उत्पादन संभव होता है।

कोयला गैसीकरण के लाभ

- यह भारत के प्रचुर कोयला संसाधनों का उपयोग कर सकता है, जिससे **आयातित ऊर्जा, रसायनों और फीडस्टॉक पर निर्भरता कम** होती है।
- यह **बड़े पैमाने पर कोयला-से-रसायन संयंत्रों** के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से **आंतरिक राज्यों की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं** को सशक्त कर सकता है।
- यह कोयले के **स्वच्छ उपयोग** को सक्षम बना सकता है, जिससे **CO_2 और अन्य प्रदूषकों** को लागत प्रभावी तरीके से कैप्चर कर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है।

Source: PIB

अभ्यास सियोम प्रहार

संदर्भ

- भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में **अभ्यास सियोम प्रहार (Exercise Siyom Prahar)** का सफलतापूर्वक समापन किया, जिसमें आधुनिक युद्ध में ड्रोन तकनीक की भूमिका को प्रमाणित किया गया।

अभ्यास के बारे में

- इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य **भविष्य के युद्धक्षेत्रों के लिए नई रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं (Tactics, Techniques and Procedures - TTPs)** का विकास एवं सत्यापन था।
- इनमें ड्रोन से प्राप्त खुफिया जानकारी को पारंपरिक अग्नि शक्ति के साथ जोड़ने की विधियाँ, संयुक्त लक्ष्य निर्धारण प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना, और गतिशील युद्ध स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित करना शामिल था।
- इस अभ्यास के परिणामों से **संचालनात्मक एकीकरण, तैनाती की अवधारणाओं और बल गुणन (Force Multiplication)** के लिए महत्वपूर्ण सीख मिलने की संभावना है।

Source: TH

INS अरावली का गुरुग्राम में कमीशन

समाचारों में

- भारतीय नौसेना ने INS अरावली को गुरुग्राम में आयोजित कमीशन समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल

दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में आधिकारिक रूप से कमीशन किया।

INS अरावली

- इसका नाम अरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है तथा यह तकनीक एवं सहयोग का एक केंद्र बनेगा, जो समुद्रों के पार प्लेटफॉर्म और साझेदारों को जोड़ने का कार्य करेगा।
- इसका आदर्श वाक्य है "सामुद्रिक सुरक्षा के लिए सहयोग", और इसका उद्देश्य नौसेना की संचालनात्मक तत्परता एवं समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
- यह सूचना और संचार क्षमताओं को बढ़ाएगा।

महत्त्व

- यह प्रधानमंत्री की महासागर(MAHASAGAR) दृष्टि — *क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति - को मूर्त रूप देता है।*
- यह भारत की भूमिका को हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में सुदृढ़ करता है।

क्या आप जानते हैं?

- अरावली पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।
- यह गुजरात से दिल्ली तक (राजस्थान और हरियाणा के माध्यम से) 800 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है।
- अरावली श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर स्थित है।
- अरावली पर्वतमाला का उत्तर-पश्चिम भारत और उससे आगे की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है।

Source :TH

F404-IN20 इंजन

संदर्भ

- हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने **LCA Mk-1A लड़ाकू विमान** के लिए अमेरिकी कंपनी **GE एयरोस्पेस** से **99 F404-IN20 इंजन** का ऑर्डर दिया है।
  - भारत ने **2021 में GE के साथ एक अनुबंध** पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अंतर्गत HAL को तेजस Mk1A में F404-IN20 इंजन का उपयोग करना है।

F404-IN20 के बारे में

- F404-IN20, GE (जनरल इलेक्ट्रिक) की **F404 श्रृंखला** के आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजनों का एक संस्करण है। यह विशेष रूप से भारत के **LCA तेजस Mk1/Mk1A लड़ाकू विमानों** के लिए अनुकूलित किया गया है।
  - यह F404 श्रृंखला का **सबसे अधिक थ्रस्ट देने वाला संस्करण** है।
- **मुख्य विशिष्टताएँ:**
  - F404-IN20 इंजन **अफ्टरबर्नर के साथ लगभग 84 kN का अधिकतम थ्रस्ट** उत्पन्न करता है।
  - यह इंजन **लगभग 28:1 के प्रेशर रेशियो** पर कार्य करता है, जिससे कुशल संपीड़न और ऊर्जा उत्पादन संभव होता है।
  - इसमें **फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल (FADEC)** प्रणाली लगी है, जो प्रदर्शन और ईंधन दक्षता का सटीक प्रबंधन सुनिश्चित करती है।
  - इसके डिज़ाइन में **हाई-फ्लो फैन**, **उन्नत हॉट-सेक्शन सामग्री**, और **सिंगल-क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स** शामिल हैं, जो इंजन की **टिकाऊपन और विश्वसनीयता** को बेहतर बनाते हैं।

Source: HT

आपदा जोखिम सूचकांक (DRI)

संदर्भ

- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने **आपदा जोखिम सूचकांक (Disaster Risk Index - DRI)** को पुनः परिभाषित करने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि हिमालयी क्षेत्र को विशिष्ट खतरों का सामना करना पड़ता है जिन्हें वर्तमान सूचकांक में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है।

आपदा जोखिम सूचकांक (DRI)

- DRI सामान्यतः एक ऐसा मापदंड है जो **जोखिम के संपर्क**, **संवेदनशीलता**, और **क्षमता/लचीलापन** को मिलाकर किसी भौगोलिक इकाई की आपदा जोखिम का आकलन करता है।
- भारत में DRI का उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि कौन-से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं — न केवल प्राकृतिक खतरों के आधार पर, बल्कि यह भी देखा जाता है कि:
  - कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं,
  - कितनी जनसंख्या/कृषि/अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है,
  - अधोसंरचना की तैयारी कैसी है, आदि।
- यह सूचकांक **15वें वित्त आयोग (2017–2025)** द्वारा तैयार किया गया है।
- **विचारित 14 प्रकार के खतरे:**भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, सुनामी, हिमस्खलन, गर्म लहर, शीत लहर, तटीय कटाव, वनाग्नि, अग्नि, औद्योगिक खतरे, विद्युत।
- **सूचकांक कैसे तैयार किया जाता है:**
  - यह गणना **जनगणना 2011 के अनुसार 640 जिलों** के स्तर पर की जाती है।
  - इसके बाद इसे **राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर** पर समेकित किया जाता है।

Source: TM

■■■■